न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

<u>पंचायत निगरानी संख्या 13/2009</u>

<u>प्रार्थी</u>	बनाम	<u>विप्रार्थीगण</u>
पुखराज पुत्र मोहनलाल जाति ओसवाल निवासी पचपदरा सिटी जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी 2. फतेहसिंह पुत्र विशनसिंह 3. भवानीसिंह पुत्र फतेहसिंह 4. श्रीमती पदमकंवर पुत्री फतेहसिंह पत्नी विशनसिंह जाति राजपूत निवासी गोपड़ी (पचपदरा) तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 जो ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री अमृतलाल जैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री हुक्मसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी स. 02 से 04 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांक 08.05.2017

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के नाम जारी पट्टा संख्या 371 दिनांक 27.12.1999 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा दिनांक 18.12.1976 को सार्वजनिक निलामी कें तहत महात्मा गांधी कॉलोनी स्थित आबादी भूमि के प्लॉट नंबर 9 व 10 की प्रार्थी की बोली उच्चतम होने से दोनो प्लॉट प्रार्थी को बेचना तय किया गया। दोनो प्लॉटो की राशि क्रमशः 301 व 411 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जमा कर प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 171 व 172 दिनांक 14.9.1987 जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा ने उक्त दोनो पट्टे उपं पंजीयक कार्यालय पचपदरा से रजिस्टर्ड

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

करवाये गये। विप्रार्थी संख्या 02 ने कथित रूप से ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 की प्रति ग्राम पंचायत पचपदरा कार्यालय में पेश करते हुए उक्त पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य करवाये जाने की अनुमति देने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी से वादग्रस्त भूमि पर अपना पुराना पट्टा एवं कब्जा होने के कारण विप्रार्थी संख्या 02 को निर्माण स्वीकृति जारी करने का विरोध किया गया जिस पर ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति नहीं देते हुए, यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने ग्राम पचायंत पचपदरा को गुमराह कर वादग्रस्त भूमि का पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 जारी करवाया, जिसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत पचपदरा के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 को पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 फर्जी तरीके से नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर जारी किया गया है, जो निरस्त किया जाए।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत पचपदरा से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 की ओर से श्री हुकमसिंह चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब दिनांक 25.8.2009 को जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा नीलामी के माध्यम से खरीदे गये दोनो प्लॉट के पट्टो का पंजीयन करवाया गया हैं। विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 की प्रति प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पचपदरा से निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति मांगी गई थी, परन्तु इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एतराज किये जाने पर दोनो पक्षों के निर्माण कार्य को रूकवाया जाकर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। विप्रार्थी संख्या 2 से 4 को जारी पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 एवं प्रार्थी को जारी पट्टा संख्या 171 व 172 दोनो ही पट्टे ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किये गये है।

5. विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.9.2015 को जवाब पेश करते हुए प्रार्थी द्वारा निगरानी 10 वर्ष बाद पेश करने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होना बताया। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 का काफी पुराना कब्जा होने से तथा प्लॉट की भूमि पर सत्याभासक स्वत्व का दावा न्याय संगत होने से बातचीत के जरिये ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 10000/– कीमतन जमा करते हुए पंचायती राज अधिनियम में

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दर्शाई गई प्रक्रिया अपनाई जाकर पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 जारी किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी खारिज की जाऐं।

6. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक नीलामी के तहत उच्चतम बोली लगाये जाने के फलस्वरूप प्लांट संख्या 9 व 10 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा आवंटन किये गये एवं निर्धारित राशि जमा करवाये जाने पर पट्टा संख्या 171 व 172 दिनांक 14.9.1987 जारी किया गया। उक्त दोनो पट्टे उप पंजीयक पचपदरा द्वारा रजिस्टर्ड है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में जारी किये गये पट्टे का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत पचपदरा के पास उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टा पूर्णतया फर्जी है। विवादग्रस्त पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 संकल्प संख्या 5 के जरिये आपसी बातचीत के जरिये मिसल संख्या 35ए दिनांक 4.10.1987 कायम कर विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में जारी किया गया है जबकि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा के कार्यालय रिकार्ड में उक्त पट्टे एवं संकल्प का कहीं उल्लेख नहीं है, इससे विवेच्य पट्टा पूर्णतया फर्जी होना प्रमाणित है। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 फर्जी एवं कूटरचित होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान् तर्क किया कि प्रार्थी के कथित भूखण्ड संख्या 9 व 10 जो वर्ष 1973 में निलाम किये गये तथा उसका पट्टा संख्या 171 व 172 दिनांक 14.9.1987 को ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किये गये। वक्त निलामी उक्त भूमि आबादी में नहीं थी और राजस्व कृषि भूमि बारानी दोयम पचपदरा के खसरा नंबर 685 रकबा 212 बीघा 05 विस्वा किस्म बारानी दोयम सरकारी भूमि होने से ग्राम पंचायत पचपदरा को निलाम करने का अधिकार नहीं था। इसलिए निलामी की गई समस्त कार्यवाही आरम्भ से ही शून्य थी। वर्ष 1973 की निलामी के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को 14.9.1987 को पट्टा संख्या 171 व 172 जारी किये गये, जो नियमों के विपरीत है। निलामी की राशि निलामी तिथि से दो माह की निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाये जाने के कारण स्वतः ही निलामी कार्यवाही निरस्त योग्य थी। प्रार्थी को नियमों के विपरीत कृषि भूमि से प्लॉटो की निलामी की गई तथा लगभग साढे तेरह वर्ष बाद निलामी की राशि दिनांक 6.8.1987 को जमा की गई जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी को जारी पट्टा संख्या 171 व 172 एवं निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

8. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत पचपदरा के रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन कि ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा सार्वजनिक निलामी के दौरान् उच्चतम बोली होने से प्लॉट संख्या 9 व 10 का बेचान प्रार्थी को करना तय हुआ तथा दोनो प्लॉटो की राशि जमा करवाये जाने के पश्चात पट्टा संख्या 171 व 172 दिनांक 14.9.1987 को जारी किये गये। दोनो पट्टे उप पंजीयक पचपदरा द्वारा रजिस्टर्ड है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 को भी ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 जारी किया गया। ग्राम पंचायत पचपदरा के पास पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त पट्टो में अंकित भूमि की मौका स्थिति से जाहिर हैं कि पट्टो में एक तरफ जोधपुर रोड़ व दोनो तरफ आम रास्ता दर्शित है व क्षैत्रफल भी लगभग बराबर है। इससे यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा एक ही भूखण्ड पर दो पट्टे जारी किये गये हैं। चूंकि पट्टा संख्या 171 व 172 जारी होने के पश्चात् पंजीयन भी करवाये जा चुके है व पट्टा संख्या 341 से पहले जारी होना रिकार्ड से स्पष्ट है। पट्टा विलेख संख्या 171 व 172 सन् 1987 में जारी किये गये जबकि पट्टा संख्या 341 सन् 1999 में जारी किया गया। इस तरह ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा एक ही भूमि पर दो पट्टे जारी किये गये, जो नियम विरूद्व है। पट्टा संख्या 341 में काटछांट की जाकर भूमि की बाजार दर 8000/– रूपये पर उपरीलेखन कर रूपये 10000/– की गई है। ग्राम पंचायत पचपदरा में पट्टा संख्या 341 से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना भी सन्देह उत्पन्न करता है। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा पट्टा संख्या 171 व 172 के प्लॉट निलामी के माध्यम से प्रार्थी को आवंटन कर, उसका पंजीयन करवाना स्वीकार किया है। सचिव ग्राम पंचायत पचपदरा की रिपोर्ट अनुसार पट्टा संख्या 341 में दर्शाई गई मिसल संख्या 35ए, इस नंबर की मिसल पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली पर पट्टा संख्या 341 की दो प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई है, पहली फोटो प्रति सरपचं ग्राम पंचायत पचपदरा से दिनांक 9.8.2007 प्रमाणित है, जबकि दूसरी फोटो प्रति नोटेरी द्वारा प्रमाणित है। सरपचं द्वारा प्रमाणित प्रति में खरीददार के रूप में भवानीसिंह के हस्ताक्षर है दूसरी प्रमाणित प्रति में फतेहसिंह के हस्ताक्षर है। पहली प्रमाणित प्रति में साक्षी के रूप में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, जबकि दूसरी प्रमाणित प्रति में केवल एक व्यक्ति के हस्ताक्षर है। पहली प्रमाणित प्रति में रास्ता पचपदरा अंग्रजी में अंकित है, जबकि दूसरी प्रमाणित प्रति में रास्ता पचपदरा हिन्दी में अंकित है। पहली प्रमाणित प्रति में

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

ग्राम सेवक/पदेन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि दूसरी प्रमाणित प्रति में ग्राम सेवक/पदेन सचिव के हस्ताक्षर है। इसप्रकार एक ही पट्टे की दो अलग–अलग प्रमाणित प्रतियों में काफी अन्तर होने से यह स्पष्ट होता हैं कि पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 पूर्णतया फर्जी तरीके से जारी किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 से 04 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 341 दिनांक 27.12.1999 खारिज किया जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 08.05..2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)